कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (आर.बी.एस.के.)

अनुबन्धित वाहन हेतु निविदा सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् **बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निविदा शर्तो के अधीन 06 चार पहिया वाहन (ब्लॉक बागेश्वर हेतु–03 वाहन, ब्लॉक बैजनाथ हेतु–01, वाहन, ब्लॉक कपकोट हेतु–02 वाहन) अनुबन्धित करने हेतु विकास खण्डवार निविदा आमंत्रित किये जाते है। **प्रत्येक विकास खण्ड हेतु आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करेंगे।**

आवेदनकर्ता/फर्म द्वारा शर्तो के अधीन 06 वाहन अनुबन्धित किया जायेगा। वाहनों की सीटों की संख्या 7+1 से कमी नहीं होनी चाहिए। **वाहन वर्ष 2017** से अधिक पुराना न हो व टैक्सी परमिट हो। **अनुबन्धित वाहन 01 वर्ष अथवा ब्राडिंग पर 03 वर्ष हेतु अनुबन्धित किया जायेगा।** आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा Technical Bid एवं Financial Bid अलग–अलग लिफाफे में समस्त वांछित प्रपत्र भरकर दोनो लिफाफों को एक लिफाफे में बन्द कर निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। Technical Bid पूर्ण करने वाले आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी की ही Financial Bid खोली जायेगी।

इच्छुक आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी वाहन का निविदा प्रपत्र दिनांक 14 जून 2019 से 28 जून 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से रू. 500.00 (निविदा प्रपत्र) का नकद भुगतान कर प्राप्त कर सकते है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 29 जून 2019 के अपराहन 01 बजे तक होगी। डाली गयी निविदाएं 29 जून 2019 को ही अपराहन 03:00 बजे क्रय समिति एवं निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेंगी। निविदाओं से सम्बन्धित विस्तृत नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। निविदा खोलते समय स्वयं या फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। नियम व शर्ते WWW.bageshwar.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बागेश्वर

पत्रांक: डी0एच0एफ0डब्ल्यू0एस0/2019–20/1381-83
दिनांक: 14 जून 2019

प्रतिलिपि:

1. संवाददाता राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित की आप उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में अपनी न्यूनत्तम दरों में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान प्रौद्यौगिकी अधिकारी, एन.आई.सी. बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को एन.आई.सी. की वैबसाईड में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बागेश्वर

Financial Bid

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्या –

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बागेश्वर

निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू0 500.00
धरोहर धनराशि	रू0 20000.00
निविदा डालने की अंतिम तिथि	29 जून 2019
समय	अपरान्ह 01:00 बजे तक
निविदा खुलने की अंतिम तिथि	29 जून 2019
समय	अपरान्ह 03:00 बजे

1. निविदादाता का नाम व पूरा पता ....

....

2. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की संख्या ....

3. वाहन का मेक/माडल ....
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें प्रत्येक वाहन)

4. ब्लॉक मुख्यालय का नाम (जहां से वाहन संचालित होगा)..

मद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु	प्रतिवाहन न्यूनतम दर, प्रति किमी0 (वाहन का मासिक किराया, ईधन, वाहन चालक का पारिश्रमिक सहित)
1 जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वाहन का मासिक किराया (ईधन, वाहन चालक का पारिश्रमिक सहित)	रू0 .... रू0 (शब्दों में) ....

मै जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रतिवाहन उपलब्ध कराने की न्यूनतम दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैने निविदा प्रपत्र के साथ वांछित समस्त प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिये है, जिसमें रू0 20000.00 मात्र की धरोहर राशि जो कि बैंक गांरण्टी/एफ.डी.आर. के रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर के नाम बंधक है, भी संलग्न कर दी है। यदि मै निविदा दर स्वीकृत हो जाने की दशा में अनुबन्ध किये जाने हेतु उपस्थित न होउंगा तो मेरी धरोहर राशि जब्त कर शासन के पक्ष में जमा कर दी जाये।

मैने निविदा में दी गयी समस्त शर्तें भलीभाँति पढ़ ली है और मुझे स्वीकार है।

संलग्न– निविदादाता हेतु वांछित शर्ते।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बागेश्वर

Technical Bid

1. निविदादाता का नाम व पूरा पता ....
....

2. निविदा प्रपत्र संख्या – ....

3. ब्लॉक मुख्यालय का नाम (जहां से वाहन संचालित होगा)...

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बागेश्वर हेतु किराये हेतु लिये जाने वाले वाहन की नियम एवं शर्तें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अघोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निम्नांकित शर्तो के अधीन 06 वाहन (ब्लॉक बागेश्वर हेतु–03 वाहन ब्लॉक बैजनाथ हेतु–01 वाहन ब्लॉक कपकोट हेतु–02 वाहन) हेतु टेन्डर आमंत्रित किये जाते है। प्रत्येक विकास खण्ड हेतु आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करेंगे।

1. आपूर्ति वाहन वर्ष 2017 से अधिक पुराना न हो व टैक्सी परमिट हो। आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी के पास पैन नम्बर/GST होना अनिवार्य होगा।
2. यदि निविदादाता आवेदनकर्ता है तो उसका स्वयं के नाम पर टैक्सी परमिट का वाहन होना अनिवार्य है, जो कि वर्ष 2017 से अधिक पुराना न हो।
3. यदि निविदादाता फर्म है तो फर्म का GST में पंजीकरण अनिवार्य होगा एवं कम से कम 02 वाहन फर्म अथवा फर्म स्वामी के टैक्सी परमिट के होने अनिवार्य है, जो कि वर्ष 2017 से अधिक पुराना न हो, प्रमाण–पत्र की छायाप्रति लगानी अनिवार्य होगी, अन्यथा सम्बन्धित निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
4. वाहन 7+1 सीट वाला वाहन होना चाहिए।
5. निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 20000.00 की धरोहर धनराशि बैंक गारंण्टी/एफ.डी.आर. जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर के नाम बंधक हो लगानी अनिवार्य है।
6. वाहन हेतु निर्धारित अधिकत्म व्यय सीमा 35256.00 रूपये प्रतिमाह/प्रति वाहन से अधिक नहीं होगी। वाहन का रखरखाव, ईधन व वाहन चालक की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी वाहन उपलब्ध कराने वाली फर्म/आवेदनकर्ता/वाहन स्वामी की होगी। वाहन से सम्बन्धित टूट–फूट, एवं आकस्मिक दुर्घटना आदि की जिम्मेदारी वाहन आवेदनकर्ता/फर्म/ वाहन स्वामी की होगी। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायर होने वाले दावों के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और न ही विभाग किसी क्षति एवं मुआवजे को देने हेतु बाध्य होगा।
7. टेन्डर स्वीकृत आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक वाहन के साथ रूपये 20000.00 प्रति वाहन की बैंक गारंण्टी/एफ.डी.आर. जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर के नाम बंधक हो, एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में अनुबन्ध पत्र के साथ जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. वाहन चालक के पास अघुनान्त वैध लाइसेन्स होना आवश्यक है। कार्यदिवस में यदि वाहन चालक मध्यपान/गलत आचरण/पुलिस वाद में दोषी पाया जाता है तो उक्त का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/आवेदनकर्ता/वाहन स्वामी की होगी, विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
9. आवेदनकर्ता/फर्म द्वारा ब्लॉक मुख्यालय का नाम (संचालन हेतु जहॉ वाहन उपलब्ध कराया जायेगा) निविदा प्रपत्र में अंकित करना अनिवार्य है।
10. वाहन को उत्तराखड के किसी भी सम्भागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, साथ ही टैक्सी वाहन से सम्बन्धित समस्त वांछित प्रपत्र (बीमा, पर्यावरण/फिटनैस इत्यादि) होना अनिवार्य है। वाहन में होने वाले व्यय आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे।
11. वाहन को सम्भागीय परिवहन कार्यालय से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त हो तथा पर्वतीय एवं मैदानी दोनो क्षेत्रों के लिए फिट होने के साथ–साथ वाहन का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए वैध होना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर

12.इच्छुक आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा Technical Bid एवं Financial Bid अलग–अलग लिफाफे में समस्त वांछित प्रपत्र भरकर दोनो लिफाफों को एक लिफाफे में बन्द कर निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। Technical Bid पूर्ण करने वाले आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी की ही Financial Bid खोली जायेगी। **Technical Bid बन्द लिफाफे के ऊपर विकास खण्ड का नाम लिखना अनिवार्य है।**

13.**Financial Bid** में प्रत्येक विकास खण्ड हेतु न्यूनत्तम दर देने वाले निविदादाता की दरें निम्नवत् अनुमोदित की जायेंगी–

13.1 यदि आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा इच्छुक विकास खण्ड हेतु अलग–अलग दरें प्राप्त होती है तो न्यूनत्तम दर को अनुमोदित किया जायेगा एवं आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा दी गयी अपनी सहमति के क्रम में आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी की न्यूनत्तम दर से अधिकत्तम दर की ओर दी गयी दरों के आधार पर सहमति प्राप्त की जायेगी एवं क्रमशः आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी के वाहनों को उपयोग हेतु लिया जायेगा।

13.2 यदि आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा दी गयी न्यूनत्तम दर पर कार्य करने हेतु सहमति नहीं दी जाती है तो उक्त की धरोहर धनराशि जब्त करते हुये आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी को निविदा प्रक्रिया से बाहर करते हुये द्वितीय न्यूनत्तम दर को निविदा में शामिल करते हुये प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। उक्त शर्त निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अथवा न्यूनत्तम तीन आवेदनकर्ता तक मान्य होगी।

13.3 यदि आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा न्यूनत्तम दर दी जाती है एवं विकास खण्ड की आवश्यकतानुसार अन्य आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी द्वारा उक्त दर पर कार्य करने की सहमति न देने पर उक्त प्रक्रिया को निरस्त अथवा न्यूनत्तम से अधिकत्तम दर पर आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी से सहमति लिये जाने हेतु का निर्णय क्रय समिति द्वारा निविदा प्रक्रिया के समय किया जायेगा। उक्त हेतु क्रय समिति स्वतंत्र है।

14.यदि किसी कार्यदिवस के दिन वाहन में कोई खराबी आ जाती हैं तो उस वाहन के स्थान पर दूसरा वाहन तुरन्त उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/आवेदनकर्ता की होगी। दूसरा वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर मासिक किराये से रू0 2500/– प्रतिदिन की दर से काट लिया जायेगा।

15.कार्यक्षेत्र जिले के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, इण्टरमीडिएट कालेज एव आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करना। टीम ब्लॉक मुख्यालय से ही स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य संचालित करेगी तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सत्यापन के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा। आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग आर.बी.एस.के. टीम द्वारा संदर्भित किये गये बच्चों को सन्दर्भण ईकाई तक लाना तथा पहुंचाने का कार्य भी किया जायेगा।

16.वाहन द्वारा जनपद स्तरीय बैठकों के साथ–साथ साप्ताहिक आयरन फौलिक सप्लीमैंटेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर स्तरीय आपूर्ति के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन वाहन आवश्यकतानुसार राज्य के भीतर कहीं भी प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर सेवायें ली जायेगी।

17. मासिक किराये से प्रतिमाह आयकर कटौती नियमानुसार की जायेगी एवं जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा उक्त जी.एस.टी. को जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी का स्वयं का होगा।

18.अनुबन्धित वाहनों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित ब्रान्डिंग विभाग द्वारा की जायेगी। वाहन का उपयोग केवल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम/जिला स्वास्थ्य समिति के दिशानिर्देशानुसार शासकीय कार्यों हेतु किया जायेगा उक्त के अतिरिक्त वाहन का उपायोग अन्य किसी भी गतिविधियों में नहीं होगा यदि आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी का वाहन शासकीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य करता हुवा पाया जाता है तो विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

19.इच्छुक आवेदनकर्ता/फर्म वाहन का निविदा प्रपत्र दिनांक 14 जून 2019 से 28 जून 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से रू. 500 (निविदा प्रपत्र) का नकद भुगतान कर प्राप्त कर सकते है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 29 जून 2019 के अपराहन 01 बजे तक होगी। डाली गयी निविदाएं 29 जून 2019 को ही अपराहन 03:00 बजे क्रय समिति एवं निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेंगी निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

20.वाहन को 30–04–2020 अथवा नई निविदा होने तक अनुबन्धित किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी अपने वाहन में भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार कार्यक्रम से सम्बन्धित **ब्रान्डिंग करने हेतु तैयार होते है** तो आवेदनकर्ता/फर्म/वाहन स्वामी के **वाहनों का अनुबन्ध तीन वर्ष तक किया जा सकता है।**

21.यदि उक्त समयान्तर्गत से पूर्व संचालित योजना भारत सरकार द्वारा बन्द की जाती है तो निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

मैने निविदा में दी गयी समस्त 01–21 शर्तें भलीभाँति पढ़ ली है और मुझे स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
पता–

मुख्य चिकित्साधिकारी,
बागेश्वर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बागेश्वर